

12018/00350

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम द.क.न.

किस्म मुकदमा शक्ति-5 अ- लक्ष्मणराव
भद्रावली
उप

मुकदमा नं. 15
15/6/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/373 दिनांक 15/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लखारीक में प्रार्थीगण के नाम चक 80RB की जमाबन्दी सम्वत् 2068-72 के खाता नं 20-39 में खातेदार शक्ति कुमारा शक्ति-5 अ- लक्ष्मणराव कोर्ट को अंकित है। जिसका नाम शक्ति है। जिसकी शक्ति कुमारा शक्ति-5 अ- लक्ष्मणराव के लक्ष्मणराव के लक्ष्मणराव शक्ति-5 अ- लक्ष्मणराव की दुरुस्ती की जाने की अभिशांषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 15/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 80RB के खाता नं 20-39 में दर्ज खातेदार शक्ति कुमारा शक्ति-5 अ- लक्ष्मणराव के लक्ष्मणराव शक्ति-5 अ- लक्ष्मणराव की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर
न्याय आप के द्वार-2018
कैम्प कोर्ट लखारीक
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर